आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2019–20/1216-17 दिनांकः 18 फरवरी, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय व विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति 2019–20 हेतु सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2019–20 हेतु राज्य की प्रवेश नीति का निर्धारण आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जाना है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नियमों इत्यादि के संबंध में दूरभाष/लिखित में अनेक स्पष्टीकरण आयुक्तालय से पूछे जाते है। अतः प्रवेश प्रक्रिया में गत वर्ष आई कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने तथा प्रवेश नीति के कतिपय बिन्दूओं को और अधिक सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रवेश नीति 2019–20 के प्रारूप को तैयार करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यो से सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

प्राचार्य अपने सुझावों को ई–मेल आई.डी. jdacad1960@gmail.com पर 10 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इसकी हार्ड कॉपी आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करनी है।

भवदीय,

18/02/19

(डॉ.आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2019–20/ दिनांकः फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

18/02/19

(डॉ.आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर